दिनांक 30.12.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 147वीं बैठक के कार्यवृत्त

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम की कार्यवाही के चलते राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में किसी भी जगह पर 100 अथवा इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होने के कारण सितंबर, 2020 तिमाही की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 147वीं बैठक का आयोजन वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से करने का सर्वसम्मति से स्टियरिंग समिति में निर्णय लिया गया ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अनुपालना की जा सकें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 147वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री कुंजीलाल मीना, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार, श्री अशोक कुमार डोगरा, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, श्रीमती शुचि त्यागी, राज्य मिशन निदेशक, एलपी & एसएचजी, राजस्थान सरकार, श्रीमती रश्मि गुप्ता, आयुक्त, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री महेंद्र सिंह महनोत, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की एवं कोरोना महामारी के कारण एसएलबीसी की सितंबर 2020 की तिमाही बैठक वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने में सभी हितग्राहियों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) के निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा सितंबर, 2020 त्रैमासिक में विभिन्न उप समितियों की बैठक भी आयोजित की गयी एवं स्टियरिंग समिति की ग्यारहवीं बैठक का आयोजन दिनांक 18.12.2020 को किया गया उक्त बैठक में विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची एवं नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 147वीं बैठक के लिए संक्षिप्त एवं सुगठित कार्यसूची को तैयार किया गया हैं।

राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एसएलबीसी के समस्त हितग्राहियों को धन्यवाद प्रदान किया। साथ ही सभी बैंकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में नयी ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं राज्य व केंद्र सरकार के समन्वय के साथ समस्त पैरामीटर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अनुरोध किया. तत्पश्चात उन्होने समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया।

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में उपस्थित गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सम्माननीय मंच पर राज्य सरकार और वरिष्ठ बैंकर्स के साथ उपस्थित होकर विचार साझा करने में अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है।

उन्होने बताया कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने एवं देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं सबसे आगे हैं. COVID-19 महामारी के इस कठिन समय में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने एवं भारत सरकार के आर्थिक पैकेज का लाभ व्यक्तियों व उद्योगों तक बैंको के माध्यम से पहुँचाया गया ताकि कोविड महामारी के दौरान हुए दुष्भाव को कम किया जा सकें. COVID-19 महामारी से कई बैंकर्स साथी भी प्रभावित हुए शाखाओ व कार्यालयो में अधिकारियों की संख्या भी कम रही उसके बावजूद भी ग्राहको को बैंकिंग सुविधा में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा जिसके लिए मैं राज्य के प्रत्येक बैंक अधिकारी/कर्मचारी को धन्यवाद देता हूँ. ऐसे मुश्किल समय में बैंकिंग संस्थानो का काम सराहनीय रहा हैं जो कि बेहद प्रशंसनीय हैं.

कोविड महामारी की विषम परिस्थिति को अवसर में बदलने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने नवंबर, 2020 माह में Rs. 2.65 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत 12 योजनाओं की घोषणा की हैं जिसके तहत बैंको की अहम भुमिका रहेगी जिसके मुख्य उद्देशय इस प्रकार हैं:

- रोजगार सृजन में वृद्धि.
- भारत को विनिर्माण केंद्र में बदलना
- भारत में जीडीपी विकास को बढ़ावा देना.
- एमएसएमई, हेल्थकेयर, कंस्ट्रक्शन / इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और अन्य स्ट्रेस्ड सेक्टरों की वसूली को बेहतर बनाना.
- कृषि क्षेत्र का समर्थन करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना.

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एवं महत्वपूर्ण बैंकिंग योजनाओं में राजस्थान में कार्यरत बैंकों ने अपना कार्यनिष्पादन बहुत ही शानदार तरीके से किया जिसके कुछ मुख्य बिन्दु सदन के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किए:-

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) : आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) योजना को दिनांक 31st March 2021 तक बढाए जाने का निर्णय लिया गया हैं। कामथ समिति द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ऋण और 500 करोड़ रुपए तक के दायरे में आने वाले 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। राज्य के बैंको ने Emergency Line of Credit Guarantee Scheme (ECLGS) के अंतर्गत दिनांक 11.12.2020 तक राज्य में 1.69 लाख एमएसएमई उद्यमियों को

रू 7,954 करोड़ की ECLGS के तहत राशि स्वीकृत (Sanction) की है एवं 1.07 लाख MSME उद्यमियों को रू 6,464 करोड़ की राशि वितरित (Disbursement) की है।

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन (Urban) के लिए 18000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया हैं. इससे देश के गरीबों को फायदा होगा. 78 लाख श्रमिकों से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे. बैंकर्स साथियों से निवेदन किया कि वे अधिक से अधिक ग्राहको को प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह ऋण की सुविधा प्रदान करें.

Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) Scheme: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महत्वकांक्षी योजना PM-KUSUM को लॉन्च किया गया हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढावा प्रदान करना हैं. किसान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर अपनी आय को बढा सकता हैं. राजस्थान राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार हैं कि सौर ऊर्जा प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं अत: सभी बैंकर्स से अनुरोध किया कि PM-KUSUM योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध करावें एवं उन्हें वित्त पोषण उपलब्ध करावे.

Pradhan Mantri Matsya Sampada (PMMSY) Yojana: देश में मछली पालन को बढावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना की शुरूआत की गई हैं. इस योजना के तहत बैंको से 3 लाख तक के ऋण की सुविधा किसानों के लिए उपलब्ध हैं एवं वर्ष 2022 तक किसानों कि आय को दुगना करने में योजना सहायक होगी. समस्त बैंकर्स साथियों से आग्रह किया कि इस योजना में किसानो को अधिक से अधिक लाभ पहूँचाए.

(PM-SVANidhi) पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत राजस्थान राज्य को 75,000 Street Vendors को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया है जिसके सापेक्ष दिनांक 21.12.2020 तक राज्य में इस योजना के तहत कुल 35,238 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं जिनमे से 18,632 लाभार्थियों को राशि रू 18.51 करोड़ के ऋण वितरित किए जा चुके हैं. राज्य सरकार व बैंकों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वह भी इस योजना का पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करे व बैंकर्स साथी इस योजना में अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें जिससे समाज के गरीब तबके के लोगो को लाभ मिल सके.

- हाल ही में वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग, भारत सरकार ने Public Sector Banks (PSBs) की Doorstep Banking Services पहल को लॉन्च किया हैं. इससे Senior Citizens, Defence Personnel, Divyang individuals, Students, Salaried Employees जैसे ग्राहको के लिए अपने घर पर बैंकिंग सर्विसेज पाना आसान हो जाएगा. बैंकिंग सेवाएं जैसे Cash Withdrawal and Deposit, Cheque/DD/PO pick up, IT Challan इत्यादि सेवाएं ग्राहको के लिए उपलब्ध रहेगी. वित्त मंत्रालय के इस पहल में हम बैंकर्स के लिए ग्राहक सुविधा शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए अत: बैंकर्स साथियो से इसमें पहल करने हेतु अनुरोध किया.

- **KCC Saturation Campaign:** आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्तमान में राज्य में पीएम किसान लाभार्थियों एवं पशुपालक, मत्स्य पालक इत्यादि कों केसीसी प्रदान करने हेतु अभियान (01.06.2020 से 31.12.2020) चलाया जा रहा है। इस अभियान में राज्य में दिनांक 11.12.2020 तक 6.39 लाख कृषकों को राशि रू 15,297 करोड़ का फसली ऋण के रूप में केसीसी प्रदान किया गया है एवं 1.41 लाख दुग्ध उत्पादकों (Dairy Farmer) को राशि रु. 1278 करोड़ का कार्यशील पूंजी (Working Capital) के रूप में केसीसी ऋण प्रदान किया गया है।

- **Financing Facility Under Agriculture Infrastructure Fund (आधारभूत संरचना निधि)**: भारत सरकार ने Agriculture Infrastructure Fund के तहत एक लाख करोड़ रूपये की वित्तपोषण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत देश में फसलों की कटाई के उपरांत प्रबंधन (Management) हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना (Basic Structure) का निर्माण अथवा संवर्धन (Enhancement) किया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी दिया जायेगा. इस योजना के तहत दिनांक 30.11.2020 तक राज्य में 118 आवेदन पत्र राशि 133 करोड के शाखाओं में प्राप्त हुए हैं जिनमे से 34 आवेदन पत्र में राशि 37 करोड स्वीकृत की गयी हैं. केन्द्र सरकार की कृषि आधारभूत संरचना निधि (AIF) एवं राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना के convergence होने से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा सकता हैं अत: बैंकर्स साथियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक लोगो को इन योजनाओं के तहत लाभान्वित करें.

- राजस्थान राज्य में छोटे एवं मझोले उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु व महिला सशक्तिकरण को बढावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एवं इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया गया है. राजस्थान सरकार की इस पहल के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद दिया। साथ ही बैंकर्स साथियों से अनुरोध किया कि योजना के तहत अधिक से अधिक उद्यमियों को लाभ प्रदान करें.

अब, राज्य के महत्वपूर्ण बैंकिंग उपलब्धियां (Business Key Parameters) यथा Business Growth, Achievement against benchmark of Priority Sector & its Sub-Sectors etc. पर प्रकाश निम्नानुसार प्रकाश डाला:-

- दिनांक 04.12.2020 तक देश में बैंक क्रेडिट में 5.73% की वृद्धि हुई है जो कि अब 105 लाख करोड़ हैं व जमा में 11.34% की वृद्धि हुई है जो कि अब 146 लाख करोड़ हैं.
- सितम्बर 2020 के अंत में राज्य के सभी बैंकों का Total Business Rs. 8.44 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया जिसका Y-o-Y growth 11.51% हैं. बैंकों के Total Deposits Rs. 4.69 लाख करोड़ हैं and Y-o-Y growth 12.13% हैं और Outstanding Advances Rs. 3.75 लाख करोड़ है जिसका Y-o-Y growth 10.73% हैं. इस COVID 19 महामारी के समय बैंकों की शानदार उपलब्धि के लिए पुनः धन्यवाद प्रदान किया.

- राज्य का CD Ratio सितम्बर, 2020 में 81.87% हैं जो की RBI के बेंचमार्क से ऊपर है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अग्रिमों में 10.04% की Y-o-Y वृद्धि दर्ज की गई है और कृषि क्षेत्र और कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम क्रमशः सितम्बर, 2020 तक 10.13% और 2.38% की Y-o-Y वृद्धि हुई है।

- **Annual Credit Plan:** एसएलबीसी राजस्थान ने (Annual Credit Plan) वार्षिक साख योजना वर्ष 2020-21 के लक्ष्य राशि रू 1.89 लाख करोड़ का Approve किया है जो कि गत वर्ष की उपलब्धि से 30.11% अधिक है। सितम्बर 2020 तिमाही की कुल लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 45.26% है. COVID-19 महामारी को देखते हुए प्रगति को संतोष जनक कहा जा सकता है एवं इन बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धियों की विस्तृत चर्चा बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं के साथ करेंगे ।

इसके अलावा, मैं उन मुद्दों की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जहाँ बैंकर्स को राज्य सरकार के समर्थन की आवश्यकता है:

- Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act, 1974 (RACO-ROD Act) (राजस्थान कृषि ऋण परिचालन (कठिनाइयों को दूर करना) अधिनियम, 1974) के तहत राशि रू. 4273 करोड़ के 1.63 लाख प्रकरण वसूली हेतु लंबित हैं। उक्त प्रकरणों में से राशि रु. 2186 करोड़ के लगभग 1.12 लाख खाते एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। अत: राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि वह किसानों को कृषि ऋण के Fast Processing एवं बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावे।
- SARFAESI अधिनियम के तहत दिनांक 30.09.2020 तक राशि रु. 211 करोड़ के 568 प्रकरण जिला प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं, जिनमें से राशि रु. 195 करोड़ के 437 मामले 60 से अधिक दिनों से लंबित हैं अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया कि समस्त जिला मजिस्ट्रेटस को निर्देशित करें कि SARFAESI अधिनियम के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें।
- राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट "कृषि ऋण रहन पोर्टल" का प्रोजेक्ट झुंझुनु में लांच किया गया था तत्पशचात जयपुर जिलें में भी लॉन्च कर दिया गया है जिसके लिए राजस्थान सरकार एवं सभी बैंकों को तहे दिल से धन्यवाद दिया. इस पोर्टल से पूरे जिले के किसानों के समय की बचत हो रही है तथा आसानी से किसानों को ऋण प्राप्त हो रहा है।
- एसएलबीसी राजस्थान द्वारा 100% डिजिटाईजेशन के लिए करौली जिलें को चिन्हित किया है मेरा विश्वास है कि राजस्थान सरकार द्वारा कृषि ऋण रहन पोर्टल को महत्वाकांशी जिले (Aspiration District) करौली में प्राथमिकता के साथ लागू करते हुए पूरे राज्य में शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा ।
- उन्होने राजस्थान राज्य में उन सभी बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होने COVID-19 की वजह से अपनी जान गवाई हैं और आज हमारे साथ नही हैं. SLBC, Rajasthan की ओर से इन मुश्किल समय में इन बैंकरो के परिजनों के प्रति हम अपनी हार्दिक सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की।

- इसके साथ ही, मैं राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, बैंको और वित्तीय संस्थानों को राज्य में विकास की प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में समन्वय स्थापित करने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।

तत्पश्चात संयोजक, एसएलबीसी ने **श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड** को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

उन्होने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2021-22 में नाबार्ड द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु स्टेट फोकस पेपर लॉच किया गया जिसके तहत क्रेडिट पोटेंशियल रु. 2.33 लाख करोड़ है जो कि वर्तमान वर्ष के पीएलपी अनुमान से 10% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। बैंकों के माध्यम से कृषि एवं अन्य गतिविधियों (allied activities) को सावधि ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। फाइनेंसिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग स्कीम्स, एरिया बेस्ड स्कीम्स और अन्य निवेश गतिविधियाँ जैसे डेयरी / गोडाउन / हाइटेक एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स, एफपीओ, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज आदि गतिविधियों हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जावे।

मौजूदा पुनर्वित्त योजनाओं के तहत इन क्षेत्रों को वित्तपोषण के लिए बैंकों का समर्थन करने के लिए नाबार्ड द्वारा वाटरशेड और वाडी क्षेत्रों में जीएलसी विशेष पुनर्वित्त योजनाओं, डब्ल्यूएएसएच (WASH) परियोजनाओं और माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा दिया गया, पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में, कृषि में ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना को शुरू करने के लिए एक आकांक्षात्मक जिले (aspirational district) का चयन किया जाएगा। परियोजना जिले के प्रारंभिक चरणों हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण की आवश्यकता होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सभी बैंकरों का सहयोग अपेक्षित है।

उन्होने बताया कि चालू वर्ष के दौरान, राज्य में सभी तीन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 90 नये एफपीओ को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए बैंकों को सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही उन्होने बताया की राज्य के 2.95 लाख JLG के वित्त पोषण कों प्रोत्साहित करने का जो लक्ष्य रखा गया है उनमे से 93,044 JLG को सितंबर 2020 तक प्रोत्साहित किया गया है। उन्होने सभी बैंकों से विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आरआरबी द्वारा जेएलजी के कुशल प्रचार के लिए कदम उठाने हेतु आग्रह किया।

श्री अरुण कुमार सिंह क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने संबोधन में एसएलबीसी कार्यालय, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होने COVID-19 के दौरान कड़ी मेहनत की और आवश्यक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की।

उन्होने बताया कि कृषि ऋण खातों में प्रति खाते बकाया ऋण राशि में वृद्धि कर एवं कृषि ऋणों के end use की निगरानी कर कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को बैंकों द्वारा पूरा किया जा सकता है जिससे कृषि पर निर्भर आबादी का जीवन स्तर सुधारा जा सके।

दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े के अनुसार अर्थव्यवस्था में इस महामारी के कारण जो गिरावट का दौर आया है वो अब सुधार की दिशा में अग्रसर है । मौजूदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए, राजस्थान सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। SIDBI इस व्यवस्था के तहत, भीलवाड़ा में कपड़ा और जोधपुर में हस्तशिल्प जैसे क्लस्टर आधारित क्षेत्रों की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की स्थापना करेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापक रूप से उभरती हुई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों की व्यापक रूप से समीक्षा कर समावेशी विकास पर ज़ोर दिया है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने में मदद करेगा।

उन्होने बताया कि COVID-19 के वर्तमान चुनौतीपूर्ण समय में BCs की भूमिका और अधिक प्रमुख हो गई है, जिसमें BCs समाज के कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बैंकों को अपने बीसी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पहल करनी चाहिए, बीसी को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने चाहिए।

यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज लक्ष्य के तहत 31 मार्च, 2020 तक पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों के 5 कि.मी. परिधि के भीतर प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है। राजस्थान राज्य में 61 गांवों को अभी तक कवर नहीं किया गया है जिनमें से अधिकांश एसबीआई को आवंटित हैं। उन्होने एसबीआई को निर्देश प्रदान करे कि वह इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि राज्य में यूनिवर्सल फाइनेंशियल एक्सेस का लक्ष्य पूरा हो।

वित्तीय साक्षरता देश में वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वित्तीय समावेशन की गति को तेज करता है क्योंकि यह आम आदमी को बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे उत्पादों और सेवाओं की जरूरतों और लाभों को समझने में सक्षम बनाता है। समाज के सभी वर्गों को एक या दूसरे रूप में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है।

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और ग्राहकों को जागरूक करने के लिए, RBI द्वारा 2017 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुनिंदा बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) के की स्थापना की गई जिसके प्रथम चरण में 2017 में 80 ब्लॉक में और उसके बाद 20 ब्लॉक शामिल किए गए। इस कदम को आगे ले जाते हुए मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देश के हर ब्लॉक में पहचाने का लक्ष्य है । वर्तमान में 100 ब्लॉक से सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। हमारे

राज्य में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के 10 आदिवासी ब्लॉक पायलट प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किए गए है और अब राज्य भर के 25 जिलों में 174 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है ।

राजस्थान राज्य में, करौली जिले की पहचान 100% डिजिटलाइजेशन के लिए की गई है और 30 नवंबर, 2020 तक जिले ने 81.86% का डिजिटल संतृप्ति स्तर हासिल कर लिया है। 100% डिजिटलकरण प्राप्त करने की समय सीमा 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई है। शेष रहे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताई।

श्री अशोक कुमार डोगरा, निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान में बैंकिंग क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होने भारतीय स्टेट बैंक को आवंटित गाँव जिन्हे अभी तक कवर नहीं किया गया है, उन्हे जल्द से जल्द बीसी के माध्यम से कवर किए जाने हेतु अनुरोध किया। उक्त क्षेत्रों के पंचायत भवन में भी बीसी के लिए कनेक्टिविटी की सुविधा के साथ बैठने का स्थान उपलब्ध करवाया जा सकता है। PMSBY एवं PMJJBY के तहत दर्ज़ लंबित क्लेम का निस्तारण जल्द से जल्द किए जाने हेतु भी अनुरोध किया। उन्होने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत प्रगति काफी कम होने पर चिंता व्यक्त की एवं बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त योजनान्तर्गत प्रगति को बढ़ाया जावे।

तत्पश्चात संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **श्री कुंजीलाल मीना, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार** को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री कुंजीलाल मीना, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार ने बैठक को संबोधित करते हुए निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु सूचित किया:-

- वार्षिक साख योजना के तहत कृषि क्षेत्र को आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंकों द्वारा प्रयासों में तेजी लायी जावे जिससे मार्च, 2021 तक लक्ष्य प्राप्ति की जा सके।
- राजस्थान सरकार की Agro- processing Policy 2019 के तहत 300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त योजना का प्रचार प्रसार करने हेतु बैंकों से अनुरोध किया।
- केसीसी संतृप्ति अभियान के तहत केसीसी हेतु पात्र पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों कों प्रदान किए जाने वाले ऋणों की प्रगति काफी धीमी होने पर चिंता व्यक्त की।
- भारतीय स्टेट बैंक की ओसियां शाखा जिला जोधपुर द्वारा पीएमएफ़बीवाई के तहत प्रीमियम का पैसा समय पर जमा नहीं करने के कारण फसल बीमा क्लेम किसानो को नहीं मिला है। इस वजह से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के निर्देश एसबीआई को दिये गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक उक्त किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। उन्होने एसबीआई द्वारा लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं उक्त मुद्दे को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करने का निर्देश प्रदान किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बैठक के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री सी.पी. अग्रवाल, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए.

श्री सी.पी. अग्रवाल, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **146**वीं बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना हेतु समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध है जिसमें से मुख्य कार्यवाही बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख अथवा उसके समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य की समस्त बैंक शाखाओं/क्षेत्रीय/प्रशासनिक कार्यालय के व्यावसायिक लक्ष्य वार्षिक साख योजना (ACP) के साथ संरेखित (align) कर निर्धारित किए जाने चाहिए.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

- अग्रणी जिला प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अपेक्षित कौशलयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए.
- अग्रणी जिला कार्यालय हेतु अलग कार्यालय स्थान एवं एलडीएम द्वारा अपनी मुख्य जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कंप्यूटर, प्रिन्टर एवं डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
- साथ ही एलडीएम को अलग से एक वाहन भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.
- एलडीएम कार्यालय में डेटा प्रविष्टि/ विश्लेषण हेतु कर्मचारी की कमी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. अतः एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उपसमितियों के आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

उपसमिति	बैठक की दिनांक
1. वित्तीय समावेशन	05.11.2020
2. डिजिटल भुगतान	05.11.2020
3. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	18.11.2020
4. कृषि योजनाओं से संबन्धित तथा फसल की अवधि निर्धारण	20.11.2020
5. एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ	03.12.2020
6. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	03.12.2020
7. एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास	11.12.2020
8. बकाया ऋण वसूली	To Be Held Soon

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 147वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 11वीं बैठक दिनांक 18.12.2020 को आयोजित की गयी।

एजेण्डा क्रमांक - 3

Key Business Parameters

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि 30 सितंबर, 2020 तक राज्य में कुल 8,189 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 में सितंबर तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 52 शाखाएं खोली गयी हैं। अन्य संबन्धित आंकड़े निम्नानुसार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए :

जमाएँ व अग्रिम: 30 सितंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 12.13% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 4,68,622 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.73% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 3,74,504 करोड़ रहे हैं। जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 12.32%, 12.19%, -1.46% एवं 40.12% रही है तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंक स्माल फाइनेंस एवं वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 9.80%, 13.50%, 42.76% एवं 6.23% रही है. राज्य का साख जमा अनुपात 81.87% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क के सापेक्ष संतोषजनक है ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.04% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,41,799 करोड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.13% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,13,502 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: 30 सितंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 12.70% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 89,329 करोड़ रहा है।

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 सितंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 2.38% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 75,426 करोड़ रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 सितंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 1.62% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 16,102 करोड़ रहा है।

राज्य में **कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** के अग्रिम 64.57%, कृषि क्षेत्र को 30.31%, एमएसएमई को 23.85%, कमजोर वर्ग को 20.14%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 15.22% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 11.84% रहा है।

राजस्थान के नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के 30 सितंबर, 2020 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धि एवं अन्य राज्यों की उपलबधि से राजस्थान राज्य की प्रगति के तुलनात्मक आंकड़ों पर संतोष व्यक्त किया।

एजेण्डा क्रमांक - 4

Unbanked Rural Centers (URC)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 119 बैंकरहित गांवों की सूची दिनांक 15.07.2020 को प्रेषित की गयी। शेष रहे 60 गांवों में से अधिकतर बार्डर क्षेत्र पर स्थित गाँव हैं जहां पर सुरक्षा कारणों से बीसी का चयन नहीं किया जा पा रहा है।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उक्त आवंटित गांवों में से 18 गांवों में बैंक मित्र लगाए जा चुके हैं तथा शेष गाँव बार्डर क्षेत्र में होने के कारण बीसी लगाने में छूट प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर से लिखित में अनुमोदन प्राप्त होते ही एसएलबीसी को सूचित कर दिया जावेगा।

प्रतिनिधि, आरएमजीबी ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक को आवंटित जैसलमेर जिले के गांवों में उनके बैंक की मोबाइल वैन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा जैसलमेर के अग्रणी जिला प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है कि आरएमजीबी की वैन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने एवं आईपीपीबी के 5 किमी से अधिक गांवों में बैंकिंग सुविधा वाले प्रकरण पर डीएलसीसी/डीएलआरसी में चर्चा कर अथवा जिला प्रशासन से अलग से इस प्रकरण प्रस्तुत कर इसको निस्तारण करावें ताकि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत करवाया जा सके।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि करीबी शाखा की दूरी 50 कि.मी. होने के कारण बीसी के लिए कार्य करना व्यवहार्य नहीं हो पा रहा है । अतः मोबाइल वैन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना बेहतर समाधान है। उक्त प्रकरण जिला प्रशासन से समन्वय करते हुए अतिशीघ्र निस्तारण करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, जैसलमेर को निर्देशित किया।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, जैसलमेर)

<u>District Level Implementation Committee for the Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) within the overall Aspirational Districts Programme (ADP) of NITI Aayog:</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आशान्वित जिलों (Aspirational Districts) में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 13.07.2020 से Aspirational Districts Programme (ADP) के तहत में चयनित आशान्वित जिलों में Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) चलाया है। उक्त TFIIP अभियान राजस्थान में बारां एवं जैसलमेर जिले में चिन्हित किया गया है।

दोनों आशान्वित जिलों (Aspiration Districts) की पहली DLIC बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई:

- बारां - 06.08.2020, 20.08.2020, 10.09.2020, 08.10.2020, 12.11.2020 एवं 17.12.2020
- जैसलमेर - 19.08.2020

आशान्वित जिलों में Key Parameters की प्रगति की समीक्षा हेतु SLIC के गठन की सूचना एसएलबीसी के पत्रांक JZ:SLBC:2020-21:765 दिनांक 17.10.2020 के माध्यम से समस्त हितग्राहियों को प्रेषित की गयी, जिसकी बैठक जल्द ही आयोजित की जावेगी।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि अग्रणी जिला प्रबन्धक, जैसलमेर को निर्देश प्रदान करें कि पाक्षिक आधार पर DLIC बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, जैसलमेर)

<u>सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY, APY के तहत दिनांक 30.09.2020 तक क्रमशः 9105798, 2888778 एवं 1112449 नामांकन किए गए।

अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिसका विवरण निम्नानुसार है :

	Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 30.11.2020	% Ach.
Atal Pension Yojana: DFS, MoF, GoI, vide their letter no. file no. 16/7/2015-PR (PT) dated 01.06.2020 and PFRDA vide e-mail dated 02.06.2020 had informed target for the F.Y.2020-21 based on the number of branches of each bank	PSB		4194	60	251640	141391	56.19
	Private	HDFC, Axis, ICICI and IDBI	921	60	55260	5175	9.36
		Other Private Banks	576	30	17280	698	4.04
	RRB		1553	50	77650	55474	71.44
	Co-Op.		460	20	9200	1	0.01
	Small Finance Bank		305	50	15250	948	6.22
	State as a Whole		8009	270	426280	203687	47.78
	* Data received from PFRDA						

राज्य में कुल 4,26,280 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.11.2020 तक 203687 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 47.78% रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है।

पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से निरंतर अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी निम्न बैंकों की सितम्बर - 2020 तक की प्रगति बेहद चिंतनीय है:

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक - 0 (0.00%)
एयू स्माल फाइनेंस बैंक - 06 (0.04%)
आईसीआईसीआई बैंक - 203 (0.69%)
एचडीएफसी बैंक - 189 (01.58%)

(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक)

प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने बताया कि तकनीकी समस्या को दूर किया जा चुका है एवं आगामी तिमाही में उक्त योजनांतर्गत प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया।

(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान)

प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि उनके बैंक द्वारा नवंबर एवं दिसंबर माह में अटल पेंशन योजना के तहत क्रमशः 1,739 एवं 1200 नामांकन नामांकन किए गए हैं। आगामी तिमाही अच्छी प्रगति होने के लिए सदन को आश्वस्त किया ।

Identification of one Digital District-

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के महत्वाकांशी जिलों में से एक जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है। जिसकी

समय सीमा कोविड-19 महामारी के फैलाव के कारण मार्च 2021 तक विस्तारित की गयी है। 100% डिजिटल की करौली एवं राज्य की प्रगति निम्नानुसार है :

Progress of 100 % Digital District - Karauli - Comparision from March 2020 to Nov 2020

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)					Digital coverage for business (Current Accounts)				For non-customers	Digital Financial Literacy	
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI, USSD	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of	Total POS/ QR (A+B+C) other than CA holders	No. of FLC camps on Digital FL	No. of people participated
1	Mar-20	1453457	67.29	8.25	20.58	68.56	12094	20.37	23.26	-	192	268	10694
2	Jun-20	1416087	75.62	8.84	23.51	77.03	12617	28.58	29.21	-	278	102	2003
3	Sep-20	1452738	76.92	9.38	24.34	78.72	13618	35.89	31.16	58.53	355	344	11906
4	Nov-20	1469101	80.02	9.97	25.49	81.86	13660	41.87	37.55	68.84	480	689	13303

Progress of 100 % Digital State - Rajasthan - Comparision from March 2020 to Sept 2020

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)					Digital coverage for business (Current Accounts)				For non-customers	Digital Financial Literacy	
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI, USSD	Total No. of Operative CA Accounts	% Net banking Coverage	% of POS/ QR coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net	Total POS/ QR (A+B+C) other than CA holders	No. of FLC camps on Digital FL	No. of people participated
1	Mar-20	72023952	58.51	9.61	15.39	63.26	1598321	33.73	8.66	-	87362	4785	191175
2	Jun-20	76521335	60.76	10.82	16.17	64.17	1608216	34.02	9.39	-	97220	183	3263
3	Sep-20	77186217	63.98	11.97	16.85	65.65	1850198	37.22	8.91	37.94	114433	1588	68604

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सभी बैंकों को निर्देश प्रदान किए कि मार्च 2021 से पूर्व जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने के लिए सुगठित योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें । साथ ही राज्य को 100% डिजिटल बनाने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 5</u>

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति:

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,89,281 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सितंबर, 2020 तिमाही तक राशि रू 85,666 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 45.26% उपलब्धि है. कृषि में 45.62%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 54.36% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 13.83% की उपलब्धि दर्ज की गई है। वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष सितंबर, 2020 तिमाही तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 45.93%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 57.83%, सहकारी बैंक ने 35.77%, स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 14.94% की उपलब्धि दर्ज की है।

उन्होने बताया कि वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (11.73%), एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक (13.69%), पंजाब एंड सिंध बैंक (19.71%),

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (19.72%), इंडियन बैंक (20.76%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (21.98%), यस बैंक (25.15%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (27.21%), आईडीबीआई बैंक (28.11%) एवं इंडसइंड बैंक (28.51%) है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क को प्राप्त करने हेतु समस्त बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण है। अतः उक्त बैंकों को राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। सभी बैंकों के समन्वित प्रयासों से ही वार्षिक साख योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है ।

(कार्यवाही : समस्त संबन्धित सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि एनआरएलएम योजनांतर्गत दिनांक 10.12.2020 तक राज्य में 434 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) एवं 11,923 ग्राम संगठन (VO) कार्यरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत वर्ष 2020-21 के 67,470 एसएचजी वित्त पोषित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 38,431 एसएचजी वित्त पोषित किए गए है जो कि 56.96% उपलब्धि है।

सुश्री सुचि त्यागी, स्टेट मिशन डाइरेक्टर, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि एनआरएलएम योजनांतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, बीआरकेजीबी एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है एवं उन्होने इस तरह प्रगति को निरंतर जारी करने के लिए समस्त बैंकों को निर्देश प्रदान किए । अन्य बैंकों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के लिए उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया। उन्होने निम्नलिखित बिन्दुओ पर समस्त बैंकों से कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए :

- वर्ष 2020-21 में प्रति स्वयं सहायता समूह का राज्य में औसत ऋण राशि राष्ट्रीय औसत रु. 1.08 लाख से काफी कम है जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जिला बीकानेर, धौलपुर, प्रतापगढ़ में औसत ऋण राशि रु. 1 लाख से कम है।

- कुछ बैंक शाखाओं द्वारा एनआरएलएम योजनांतर्गत ऋण प्रदान नहीं किए जा रहे है उनके ज्ञानवर्धन के लिए राजीविका, राजस्थान सरकार द्वारा शाखा प्रबन्धकों के लिए कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया एवं नियंत्रक, सदस्य बैंकों को उन शाखा प्रबन्धकों को उक्त कार्यशाला सहभागिता के लिए निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया ।

- उन्होने बताया कि एनआरएलएम के तहत वित्तपोषित एसएचजी का NPA 2% से नीचे है एवं अन्य योजनाओं में वित्तपोषित एसएचजी को सममिललित करते हुए 4.68% एनपीए है जो कि बहुत अधिक

है । अन्य योजनाओं के तहत वित्त पोषित NPA एसएचजी का विवरण जिले के DPM को प्रेषित करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें ताकि एनआरएलएम प्रतिनिधियों द्वारा एसएचजी के एनपीए की वसूली के लिए बैंकों का सहयोग प्रदान कर सके।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

- एनआरएलएम योजना के तहत प्रगति के लिए पंजाब नेशनल बैंक, आरएमजीबी एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही : पंजाब नेशनल बैंक, आरएमजीबी एवं भारतीय स्टेट बैंक)

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि एनआरएलएम योजनांतर्गत अच्छे प्रयास किए जा रहे है एवं आगामी तिमाही में अच्छी प्रगति किए जाने का सदन को आश्वासन प्रदान किया।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

<u>स्वयं सहायता समूह (SHG)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि 30 सितंबर, 2020 तक समस्त सदस्य बैंकों द्वारा 3,57,246 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है तथा 86,036 एसएचजी को क्रेडिट लिंक किया गया है एवं राशि रू 782.30 करोड़ का ऋण बकाया है। साथ ही सितंबर 2020 तिमाही तक कुल 12,690 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है तथा 20,116 एसएचजी को क्रेडिट लिंक किया गया है।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत दिनांक 31.10.2020 तक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 9041 के लक्ष्य है। जिसमें से 7055 व्यक्तियों, 414 समूहों एवं 1572 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 31.10.2020 तक उपलब्धि क्रमशः 832, 5 एवं 86 रही है।

उन्होने स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत गुणवत्ता वाले आवदेन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें एवं एक शाखा में समान प्रकार के व्यवसाय आवेदन पत्र प्रेषित नहीं करने हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित करें एवं बैंक शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्रेषित करें।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

परियोजना निदेशक, एनयूएलएम, राजस्थान सरकार ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत व्यक्तिगत (SEP) लक्ष्य के लक्ष्य संशोधित कर 4000 कर दिए गए है एवं 1,259 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत एवं 705 व्यक्तियों को ऋण वितरित कर दिए गए है जो कि प्रगति काफी कम है। उन्होने सभी बैंकों से योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए अनुरोध किया ।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण आवश्यक बैंकिंग कार्य ही बैंक शाखाओं द्वारा संपादित किए जा रहे थे एवं इस संकट के समय सिर्फ 3 माह में किए गए कार्य के कारण ही प्रगति हुई है जिसके लिए बैंक कर्मचारी बधाई के पात्र है । उन्होने सभी सदस्य बैंकों को योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए निर्देश प्रदान किए।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 18.12.2020 तक की प्रगति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

- राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 80.94 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 18.12.2020 तक राशि रू 36.07 करोड़ (Disbursement) उपलब्धि रही है जो कि 44.57% है ।
- योजनांतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, केनरा बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रगति आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि अच्छी रहने से सूचित किया।
- एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, बीआरकेजीबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरएमजीबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब नेशनल बैंक की आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि अच्छी नहीं होने से सूचित किया।

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि पिछली तिमाही में लॉकडाउन के कारण कार्य नहीं हो पाया था लेकिन अब कार्य शुरू किया जा चुका है। आगामी तिमाही में योजनान्तर्गत अच्छी प्रगति परिलक्षित करते हुए फरवरी 2021 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सदन को आश्वस्त किया ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

<u>Mukhya Mantri Laghu Udyog Prothsahan Yojana (MLUPY)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के तहत 10,000 खातों का लक्ष्य प्रदान किया गया है जिसके सापेक्ष दिनांक 22.12.2020 तक 2882 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होने बताया कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांशी योजना है एवं समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि योजनान्तर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारण करते हुए समस्त पात्र लोगों को ऋण प्रदान करें एवं स्वीकृत किए गए ऋणों का वितरण शीघ्र सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि राजस्थान सरकार की यह एक महत्वाकांशी योजना है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा ऑनलाइन प्रेषित ऋण आवेदन पत्र काफी संख्या में अस्वीकृत किए जा रहे हैं एवं प्रगति की सूचना पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतित नहीं की जा रही है। जो कि बेहद चिंतनीय है ।
बैंक ऑफ बड़ौदा की उपलब्धि एवं पंजाब नेशनल बैंक की उपलब्धि संतोषजनक है लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धि 9% है, निजी क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धि 9% जो कि बेहद चिंतनीय है ।

उन्होने सभी सदस्य बैंकों को योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Indira Mahila Shakti Udyam Protshan Yojna

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि दिनांक 21.12.2020 तक योजनांतर्गत 907 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए है जिनमें से 11 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये ।

आयुक्त, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि विभिन्न बैंकों को योजनांतर्गत 975 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए है जिनमें से मात्र 14 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये । उन्होने नगण्य प्रगति पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि समस्त बैंकों व अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करें कि इस योजना के लिए अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी शाखाओं को जागरूक करें एवं उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि पूर्व में प्रेषित सभी आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि योजना को सफल बनाया जा सके ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Special Central Assistance Scheme SC/ST

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 20,200 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.11.2020 तक मात्र 3138 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 15.53% उपलब्धि है।

उन्होने योजनान्तर्गत लम्बित आवेदनों पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया ताकि लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि हो सके।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में 7,03,445 खातों में कुल 5,134 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। लक्ष्यों के सापेक्ष 40.51% की उपलब्धि है ।

उन्होने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए है। समस्त नियंत्रक सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समुचित कार्ययोजना बनाते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

निदेशक, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल ऋणों के तहत न्यूनतम 60% ऋण शिशु वर्ग को दिया जाना सुनिश्चित करावें ।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने शिशु वर्ग को प्रदत्त ऋण की समीक्षा बैंकवार करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही : एसएलबीसी एवं समस्त सदस्य बैंक)

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS - 20%)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत दिनांक 11.12.2020 तक की एजेन्सीवार प्रगति निम्नानुसार अवगत करवाया:

Performance under Emergency Credit Line Gurantee Scheme (ECLGS) under MSME Package of GoI as on 11.12.2020

Amt in Cr

Sr. No.	Banks	Total MSME o/s of Major Banks as on 29.02.2020		Eligible Accounts of MSME		20% of eligible amt.	Cumulative Sanction progress		Cumulative Disbursement upto	
		A/C	AMT	A/C	AMT	AMT	A/C	AMT	A/C	AMT
1	Public Sector Bank	343973	34939	208047	23728	4746	120695	3428	81964	3013
2	Private Sector Bank	312893	26658	59649	22781	4556	42424	4200	20452	3171
3	Regional Rural Bank	85409	1490	37396	661	132	1158	112	1144	111
4	Small Finance Bank	135775	7529	100213	7210	1442	4880	214	3519	169
	Total	**878050**	**70616**	**405305**	**54380**	**10876**	**169157**	**7954**	**107079**	**6464**

उक्त योजना की अवधि (ECLGS 1.0 & ECLGS 2.0) दिनांक 31.03.2021 अथवा रु. 3.00 लाख करोड़ तक की गारंटी की कवरेज है, जो भी पहले हो, तक बढ़ायी गयी है।

संयोजक, एसएलबीसी, राजस्थान ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त योजनांतर्गत 31.03.2021 तक अधिकाधिक ऋण प्रदान करें व स्वीकृत खातों में ऋण वितरण भी सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : सदस्य बैंक राजस्थान)

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में दिनांक 18.12.2020 तक 34721 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें रु. 1805.84 लाख वितरित किए गए हैं।

Progress under PM-SVANidhi Scheme of Major Banks as on 18.12.2020

Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Loan Disbursement)	Total Sanctioned	Sanctioned but pending for Disbursement	In Process	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in lacs)	Pending	Withdrawn
1	State Bank of India	22000	13042	9868	8385	3174	317.19	0	1063
2	Bank of Baroda	17000	9139	2691	8581	6448	641.65	18	637
3	Bank of India	3000	1729	357	309	1372	137.10	0	94
4	Bank of Maharashtra	1000	243	78	153	165	16.50	1	10
5	Canara Bank	2500	1071	189	434	882	87.31	20	102
6	Central Bank of India	2500	1175	53	747	1122	110.51	8	109
7	Indian Bank	2000	573	247	975	326	32.41	9	56
8	Indian Overseas Bank	1000	311	50	421	261	26.07	0	36
9	Punjab and Sind Bank	500	165	80	137	85	8.50	0	6
10	Punjab National Bank	7500	3691	1656	3225	2035	203.05	18	403
11	UCO Bank	2500	967	229	840	738	73.66	24	82
12	Union Bank of India	3500	1085	323	1512	762	70.90	30	142
	PSB Total	**65000**	**33191**	**15821**	**25719**	**17370**	**1724.86**	**128**	**2740**
13	Axis Bank	1000	0	0	338	0	0.00	29	34
14	Federal Bank	250	1	0	14	1	0.10	0	1
15	HDFC Bank	1000	129	122	553	7	0.70	0	59
16	ICICI Bank	1500	91	27	757	64	6.38	32	72
17	IDBI Bank	1000	31	21	368	10	1.00	8	17
18	IndusInd Bank	250	0	0	68	0	0.00	5	11
19	Karnataka Bank Ltd	250	10	9	72	1	0.10	0	2
20	Kotak Mahindra Bank Limited	1000	0	0	222	0	0.00	24	40
21	Bandhan Bank Ltd.	250	0	0	83	0	0.00	7	14
22	Yes Bank Ltd.	250	0	0	74	0	0.00	0	5
	Pvt. Total	**6750**	**262**	**179**	**2549**	**83**	**8.28**	**105**	**255**
23	RRB Baroda Rajasthan KGB	1500	499	149	541	350	35.00	3	96
24	RRB Rajasthan Marudhara GB	1500	452	326	634	126	12.60	21	63
	RRB Total	**3000**	**951**	**475**	**1175**	**476**	**47.60**	**24**	**159**
25	AU Small Finance bank	250	55	24	83	31	3.10	7	14
26	(blank)	0	1	0	0	1	0.10	18232	2132
	Other Total	**250**	**56**	**24**	**83**	**32**	**3.20**	**18239**	**2146**

परियोजना निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत दिनांक 30.11.2020 तक राज्य के 75,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने लक्ष्य प्रदान किए गए थे जिसे अब बढ़ाकर 1,70,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य रखे गए है । बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्रों की तुलना में स्वीकृत किए गए ऋणों की संख्या काफी कम है। साथ ही शाखाओं के पास वितरण हेतु भी काफी संख्या में ऋण आवेदन लंबित हैं। उन्होने निजी बैंकों द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत कार्य नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया ।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त योजना के तहत बैंकों की प्रगति की समीक्षा हेतु जल्द ही अलग से बैठक आयोजित बैठक करने के लिए निर्देश प्रदान किए एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि पोर्टल पर केटेगरी ए व बी के अधिक से अधिक आवेदन अपलोड किए जावें एवं पथ विक्रेताओं को डिजिटल ओनबोर्ड भी करावें।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने समस्त लंबित आवेदनों का निस्तारण दिनांक 31.12.2020 तक करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं MoHUA द्वारा दिनांक 22.12.2020 को विशेष वीडियो कोन्फ्रेंस आयोजित की गयी जिसमें दिनांक 04.01.2021 से 22.01.2021 तक पीएम- स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को डिजिटल ट्रेनिंग प्रदान करने हेतु **"मै भी**

डिजिटल" अभियान चलाये जाने से सूचित किया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाभार्थियों को "पेनी ड्रॉप भुगतान" का demonstration दिया जावेगा।

Campaign for saturation of all PM-KISAN beneficiaries with KCC

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गयी है कि पूरे देश में 2.50 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किया जावेगा जिसके तहत मिशन मोड में कार्य कर रु. 2.00 लाख करोड़ का ऋण farm sector को प्रदान किया जावेगा।

उन्होने बताया कि उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रांक 3/12/2020-AC दिनांक 29.05.2020 के माध्यम से समस्त बैंकों को भारत वर्ष के समस्त PM-Kisan योजना के लाभार्थियों को केसीसी ऋण प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया है । साथ ही बताया कि 1.50 करोड़ कृषक पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि से जुड़े हुए हैं, को नई केसीसी ऋण प्रदान करने के लिए दिनांक 01.06.2020 से 31.12.2020 तक विशेष अभियान चलाया है।

उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि लंबित आवेदनों का निस्तारण दिनांक 31.12.2020 तक करना सुनिश्चित करावें। उक्त अभियान के तहत दिनांक 19.12.2020 तक की प्रगति निम्नानुसार है:-

Particulars		A/c	Amt. (in Cr.)
KCC (Crop Loan)		502190	14090.07
Farmers with AH or Fisheries Activities	KCC (Crop Loan) with dairy activity	20577	248.80
	KCC (Crop Loan) with any other allied activities	28470	86.71
Only Animal Husbandry	Dairy	87749	926.96
	Poultry	32	3.13
	Others	6300	27.56
Fisheries		1	0.20
Total		645319	15383.43
Total application Received - 752145			

Staus of Animal Husbandry Application submited by Milk Unions on PMFBY portal as on 19.12.2020								
Sr. No.	State	Total Applicactions submitted by Milk Unions	Application Received by Banks on Portal	Application Not Received by Banks on Portal	Application where No Action Taken by Banks	Application Approved by Banks on Portal	Application Rejected by Banks on Portal	Application pending at Bank Level
1	Rajasthan	539404	255853	172942	110609	42987	191180	21686

Staus of Major Banks under Animal Husbandry Application submited by Milk Unions on PMFBY portal as on 19.12.2020								
Sr. No.	Banks	Total Applicactions submitted by Milk Unions	Application Received by Banks on Portal	Application Not Received by Banks on Portal	Application where No Action Taken by Banks	Application Approved by Banks on Portal	Application Rejected by Banks on Portal	Application pending at Bank Level
1	State Bank of India	132260	36766	28194	67300	1793	18573	16400
2	Bank of Baroda	91161	57564	32447	1150	17794	39760	10
3	Bank of India	10436	2694	7346	396	405	2211	78
4	Bank of Maharasthra	2059	837	1216	6	311	524	2
5	Canara Bank	7439	3539	3673	227	943	2580	16
6	Central Bank of India	7482	2679	3400	1403	289	1791	599
7	Indian Bank	5510	1712	1691	2107	10	982	720
8	Indian Overseas Bank	1113	606	205	302	33	208	365
9	Punjab and Sindh Bank	907	511	241	155	57	355	99
10	Punjab National Bank	69774	33791	34456	1527	8619	24861	311
11	UCO Bank	23941	13553	10248	140	573	12919	61
12	Union Bank of India	15009	8111	6865	33	1075	7036	0
13	HDFC Bank	11612	0	0	11612	0	0	0
14	ICICI Bank Ltd	7942	0	0	7942	0	0	0
15	IDBI Bank Ltd	1643	9	14	1620	0	6	3
16	BRKGB	75939	49488	26256	195	8314	41020	154
17	RMGB	59430	42468	16021	941	2758	36843	2867
18	RSCB	13855	1457	639	11759	0	1457	0
19	Au Small Finance Bank	1034	0	0	1034	0	0	0

दिनांक 16.12.2020 को प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में केसीसी संतृप्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई । अभियान की धीमी प्रगति एवं दैनिक प्रगति पीएमएफ़बीवाई पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर अद्यतन नहीं किए जाने पर प्रमुख शासन सचिव, महोदय ने असंतोष व्यक्त किया।

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स कम किए जाने का प्रकरण एसएलबीसी की उपसमिति (कृषि से संबन्धित योजना) की दिनांक 19 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा की गई । जिसमें केवल अब 3 जिलों यथा जालौर, उदयपुर एवं श्रीगंगानगर में कार्यवाही प्रतीक्षित है। जालौर जिलें में केवल पशुपालन के लिए ही स्केल ऑफ फाइनेन्स निर्धारित की गई है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं नाबार्ड से अनुरोध किया कि 3 जिलों यथा जालौर, उदयपुर एवं श्रीगंगानगर के प्रबन्ध निदेशक, जिला सहकारी बैंक को पुनः समीक्षा करने के लिए निर्देशित करें। वर्ष 2021-22 के लिए स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। अतः वर्ष 2019-20 से तुलना करते हुए निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करावें ।

(कार्यवाही : नाबार्ड एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक)

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 1(3) कृषि-1/एम.सी./2020 दिनांक 30.06.2020 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2020 व रबी 2020-21 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है। जो कि राजस्थान के 33 जिलों मे क्रियान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में फ़सली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवम बंटाईदार कृषको द्वारा फसलों का बीमा किया गया है। पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2020 के अंतर्गत दिनाँक 31.08.2020 तक केंद्रीय पोर्टल पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Particulars	Rabi - 2020-21 (As on 28.12.2020)
NET Crop wise Policy (Nos.)	35.47 Lacs
Insured Area	36.52 Lacs Hectare
Total sum insured (Amount)	Rs. 21798 Cr.
Farmer's Share in premium (Amount)	Rs. 414 Cr.

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने बैंकों एवं एसएलबीसी से निम्नानुसार अनुरोध किया:-

- पोर्टल को दुबारा खोले जाने पर किसानों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा selective Area में ही पोर्टल पर entry की जा रही है, जिस पर फसल बीमा कंपनियों द्वारा भी आपत्ति जताई गयी है।
- बैंक शाखाओं द्वारा एक ही किसान की multiple entries भी की जा रही हैं जो कि अनुचित है।
- बैंकों के स्तर से वर्ष 2013 से utilization certificate से लंबित है। जो कि बेहद चिंतनीय है उन्होने अतिशीघ्र UC प्रस्तुत करने के लिए निर्देश प्रदान किए ।
- पीएमएफबीवाई और आरसीबीसीआईएस के तहत समस्याओं / गलतियों / त्रुटियों / चूक के कारण उत्पन्न अतिरिक्त दावों के निपटान के लिए लंबित मामलों की जानकारी जल्द से जल्द एसएलबीसी को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश प्रदान किए ।
- उन्होने बताया कि आधार मिसमैच से संबन्धित मुद्दों का निस्तारण किया जा चुका है।
- रबी 2012-13 का भारतीय स्टेट बैंक की ओसियां शाखा जिला जोधपुर द्वारा पीएमएफ़बीवाई के तहत प्रीमियम का पैसा समय पर जमा नहीं करने के कारण फसल बीमा क्लेम किसानो को नहीं मिला है। इस वजह से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने के निर्देश एसबीआई को दिये गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक उक्त किसानों को भुगतान नहीं किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत करवाया गया कि कृषि आयुक्त के पत्र क्रमांक 2019-20/4666-73 दिनांक 07/09/2020 के तहत दिए गए आदेश, जिसमे ओसियां शाखा को वर्ष 2012-13 में उस क्षेत्र के विभिन्न किसानों को 6.69 करोड़ रुपये क्लेम राशि भुगतान करने का उल्लेख था, जिसका एसबीआई द्वारा समय समय पर प्रत्युत्तर भी दिया गया था, उक्त आदेश में कृषको को हुए वास्तविक नुकसान, क्लेम गणना का आधार आदि की कोई जानकारी नहीं दी गयी थी । अतः बैंक ने इस मामले में सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दिनांक 24/09/2020 को याचिका दायर की है जिसका विवरण निम्नवत है:- Reg. Details: CW/11509/2020, filing Details: CW/25301/ 2020, Number: 25301/2020 है। शाखाओं से प्राप्त खरीफ 2018 से पोर्टल (NCIP) पर अपलोड होने से रह गए कृषकों के आंकड़े एसएलबीसी को प्रेषित किये जा चुके है।

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि बैंकों द्वारा वर्ष 2020-21 में सितंबर तिमाही तक राज्य में 4,876 छात्रों को राशि रू 134.25 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 47,157 छात्रों पर बकाया राशि रू 2026.67 करोड़ है। बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 1858 खातों में रु 56.42 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

Doubling of Farmers Income by 2022

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि केंद्रीय बजट 2016-17 में भारत सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने की घोषणा की थी। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के कार्यबिन्दु पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (कृषि से संबन्धित योजनाओं) की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। उप समिति में निम्न सुझाव दिये गए:-

- किसानों को नियमित कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि हेतु प्रेरित करें।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं यथा डीईडीएस, कृषि व्यवसाय, एग्री क्लीनिक एवं एएमआई योजना इत्यादि।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को वर्तमान स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स के अनुसार ऋण प्रदान किया जावे।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान किया जावे।
- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय वृद्धि हेतु निम्नलिखित योजनाएँ चलायी जा रही हैं:-
    1. Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019.
    2. Scheme for formalization of Micro food processing Enterprises (FME).
    3. Agriculture Infrastructure Fund (AIF).

Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019 योजनान्तर्गत दिनांक 21.12.2020 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress under Rajasthan Agro-Processing Agri-Business, Agri-Export Promotion Policy-2019 as on 21.12.2020							
Sr. No.	Name of Bank	Application submitted by banks for subsidy		Application where subsidy sanctioned		Status of Pending Applications	
		No. of A/c	Amt. (Rs. In Cr)	No. of A/c	Amt. (Rs. In Cr)	At Promoter Level	Under Process at different stages
1	Bank of Baroda	107	101.61	66	29.79	9	32
2	Punjab National Bank	38	58.75	11	3.46	8	19
3	State Bank of India	33	32.53	9	3.33	11	13
4	Kotak Mahindra Bank	21	26.81	8	2.95	5	8
5	UCO Bank	18	11.78	10	2.80	4	4
6	RSCB	16	4.64	1	0.25	14	1
7	HDFC Bank	15	25.09	3	0.95	6	6
8	ICICI Bank	14	12.19	0	0.00	4	10
9	BRKGB	5	3.89	0	0.00	2	3
10	Canara Bank	4	3.57	1	0.46	2	1
11	Axis Bank	4	6.98	0	0.00	0	4
12	Central Bank of India	3	3.32	0	0.00	1	2
13	Indusind Bank	3	1.86	1	0.33	2	0
14	Others	2	1.65	0	0.00	0	2
15	Punjab and Sind Bank	1	1.83	0	0.00	0	1
16	Nabkisan Finance Ltd.	1	0.08	0	0.00	1	0
17	Indian Bank	1	0.35	0	0.00	0	1
18	Bank of India	1	0.80	0	0.00	1	0
19	RSLDB	1	23.00	0	0.00	1	0
20	RFC	1	0.60	0	0.00	1	0
	Grand Total	**289**	**321.32**	**110**	**44.33**	**72**	**107**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंकों से योजनान्तर्गत अधिक से अधिक कृषकों व कृषि उद्यमियों को लाभान्वित करने के लिए अनुरोध किया ताकि राज्य में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 30.11.2020 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Bank	No. of Applications Received		No. of Applications Sanctioned		No. of Applications Disbursed		No. of Applications Pending		No. of Applications Rejected
		A/c	Amt (Rs.in Cr)	A/c	Amt (Rs.in Cr)	A/c	Amt (Rs.in Cr)	A/c	Amt (Rs.in Cr)	A/c
1	Bank of Baroda	57	59.98	31	33.58	25	12.32	19	17.46	7
2	State Bank of India	25	34.39	3	3.59	1	0.75	13	21.80	9
3	Punjab National Bank	17	18.72	0	0	0	0	15	16.22	2
4	UCO Bank	6	6.46	0	0	0	0	2	2.98	4
5	Kotak Mahindra Bank	4	5.95	0	0	0	0	2	4.00	2
6	Bank of India	3	0.14	0	0	0	0	0	0	3
7	ICICI Bank	3	4.9	0	0	0	0	2	3.45	1
8	Canara Bank	1	1.8	0	0	0	0	1	1.80	0
9	Central Bank of India	1	0.15	0	0	0	0	1	0.15	0
10	IDBI BANK LTD	1	0.07	0	0	0	0	1	0.07	0
Grand Total		**118**	**132.56**	**34**	**37.17**	**26**	**13.07**	**56**	**67.93**	**28**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंकों से लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं वितरण हेतु अनुरोध किया। साथ ही उक्त योजनान्तर्गत प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भी अनुरोध किया।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

एजेंडा क्रमांक- 6

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि राज्य के समस्त जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार है:

100% से अधिक 5 जिलों में,	71%-100% 15 जिलों में,
61%-70% 4 जिलों में,	51%-60% 7 जिलों में,
41%-50% 2 जिले में	40% से कम शून्य जिले में है.

राज्य में दिनांक 30.09.2020 तक 60% से कम साख जमा अनुपात वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक (56.74) है।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सूचित किया गया कि एसएलबीसी पोर्टल पर प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार CD Ratio 56.74% था। इस गणना में उन ऋणों को सम्मिलित नहीं किया गया था जिनका उपयोग राजस्थान में हो रहा है किन्तु ऋण अन्यत्र स्थान से स्वीकृत किए गए हैं। अब Corporate Centre नें सूचित किया है कि संशोधित CD Ratio (excluding food credit & investment) 59.22% है। CD Ratio को बढ़ाने के लिए DGM (B&O) एवं सभी AGMs(FIMM) को निर्देशित कर दिया गया हैं।

यूको बैंक द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक का साख जमा सितंबर तिमाही तक अनुपात 61.79% रहा है।

NPA Position

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सितंबर, 2020 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 3,74,504 करोड़ है तथा कुल एनपीए ऋण राशि रू 16,298 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.35% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 9.04%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 3.58%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2.82% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 6.02% है.

उन्होने बताया कि सितंबर 2019 में कुल एनपीए 4.21% था जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 4.35% हो गया है. सितंबर 2019 में कुल कृषि ऋण एनपीए 7.70% था जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 9.04% हो गया है. सितंबर 2019 में कुल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ऋण में एनपीए 3.72 % था जो कि सितंबर 2020

में बढ़कर 3.58 % हो गया है तथा सितंबर 2019 में कुल प्राथमिकता प्राप्त ऋण में एनपीए 5.27 % था जो कि सितंबर 2020 में बढ़कर 6.02% हो गया है।

<u>सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 30.09.2020 तक कुल 568 प्रकरण राशि रू 211 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 437 मामले राशि रू 195 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक समय से लंबित हैं एवं राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,63,513 प्रकरण राशि रु 4,273 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 1,11,706 प्रकरण राशि रु 2,187 करोड़ के 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं।

उन्होने बताया कि सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों को मासिक लक्ष्य आवंटित करने हेतु राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित डीएलआरसी/डीएलसीसी बैठकों में सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करें ।

उन्होने बताया कि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने पत्रांक No. F. 27(1) Plan/IF/2016 दिनांक 03.12.2020 के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को SARFAESI अधिनियम की धारा 14 के तहत लंबित प्रकरणों को 60 दिन के अंदर निस्तारण करें हेतु निर्देशित किया है ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता नहीं किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया एवं अनुरोध किया कि 1 वर्ष से भी ज्यादा लंबे समय से लंबित मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करने के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार अनुरोध किया एवं इस संबंध में आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग के लिए अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

एजेंडा क्रमांक- 8

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 30.09.2020 तक कुल 1,99,639 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं व्यवस्थापन दर 71.53% है।

उन्होने बताया कि राज्य में 21 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 2 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 8 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है. 3 आरसेटी के लिए भूमि आवंटन के प्रकरण लंबित है एवं 1 आरसेटी भूमि आवंटित की जा चुकी है लेकिन प्रकरण अभी भी लंबित है।

R-SETI Building Construction

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने आर-सेटी के भूमि आवंटन के प्रकरण की स्थिति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने बताया कि जिला प्रशासन, सवाई माधोपुर के द्वारा वैकल्पिक भूखंड चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन सवाई-माधोपुर के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने राज्य सरकार ने 2011 में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित की और निर्माण के बाद, संस्थान स्वयं के भवन से चल रहा है। अब 8,59,320/- रुपये की लेखापरीक्षा मांग के अनुसार, बैंक ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की, राज्य सरकार से कार्यवाही प्रतीक्षित है।

बैठक के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि उक्त भूमि आवंटन के मुद्दों के बहुत अधिक समय से लंबित है जिसकी वजह से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि वापस ले ली जावेगी एवं उक्त प्रोजेक्ट बंद होने की संभावना है । उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए संबन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने का अनुरोध किया। एसडीआर से उक्त प्रकरण सुलझाने के लिए समन्वय करने के निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : एसडीआर, ग्रा. वि. वि., भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्र</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से सितंबर 2020 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 394 एवं पार्ट बी के लिए 817 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 412 एवं पार्ट बी के लिए 576 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं ।

<u>Waiver of charges on display of Glow Sign Board at Bank's Branch Premises</u>

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।

उन्होने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उक्त मुद्दे पर चर्चा हेतु दिनांक 18.12.2020 को मीटिंग आयोजित की गई थी किन्तु उक्त मीटिंग अपरिहार्य कारणों से निरस्त हो गई। उन्होने स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त बैठक पुनः आयोजित किए जाने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वर्तमान में एसएलबीसी वेबसाइट को रिडिजाइन किया है एवं सदस्य बैंकों में से केवल 17 बैंकों द्वारा वेबसाइट पर मैकर की आईडी से आंकड़े अद्यतन किए है एवं चैकर की आईडी से उनके परिणाम को बैंकों द्वारा सत्यापित कर लिया गया है । उन्होने समस्त बैंकों से सीबीएस प्लेटफार्म से *.* Txt फाइल सृजित कर एसएलबीसी वेबसाइट पर अद्यतन करने की कार्यवाही आगामी 15 दिवस में पूर्ण करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

आज दिनांक तक कुल 17 बैंकों द्वारा *.*TXT फ़ाइल जनरेट की जा चुकी है व उनमें से 11 बैंकों द्वारा *.* TXT फ़ाइल एसएलबीसी की नई वैबसाइट पर सफलतापूर्वक Test Run की जा चुका है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के राज्य प्रमुख यथा मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सहभागिता नहीं किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं उन्होने एसएलबीसी की आगामी बैठकों में समस्त बैंकों के राज्य प्रमुख द्वारा ही सहभागिता किए जाने के निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक एवं समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष , राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने **सदन को सूचित किया कि** एसएलबीसी की बैठकों में बैंकों के राज्य प्रमुख द्वारा सहभागिता नहीं किए जाने की स्थिति स्वीकार्य नहीं है अतः आगामी बैठकों में राज्य प्रमुख द्वारा सहभागिता नहीं किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक एवं एसएलबीसी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें ताकि बैठक में नीतिगत मुद्दों पर सार्थक एवं सारगर्भित चर्चा की जा सकें व निर्णय लिया जा सके।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निम्नानुसार निर्देशित किया :

- एसएलबीसी की उपसमितियों की बैठक में समस्त हितधारकों यथा केंद्र व राज्य सरकार एवं बैंकों इत्यादि के सक्षम अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि उन बैठकों में प्रत्येक मुद्दे पर व सभी योजनों की प्रगति के आकड़ों पर सार्थक चर्चा की जा सके एवं एसएलबीसी कि त्रैमासिक बैठक में नीतिगत मुद्दों पर ही सार्थक एवं सारगर्भित चर्चा की जा सकें व निर्णय लिया जा सके।

- त्रैमास की समाप्ति के 15 दिवस के अंदर बैक अपने संबन्धित आंकड़े एसएलबीसी पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें ।

- वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रश्नावली (questionnaire) तैयार की गयी है उसको समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों व बैंक शाखाओं के माध्यम से स्कूल के विध्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए समस्त बैंकों से कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

श्री प्रदीप कुमार बाफना, नेटवर्क उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सदन में सभी मुद्दों पर सार्थक रूप से चर्चा करने एवं बैठक के अध्यक्ष महोदय व केंद्र व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया. साथ ही आश्वस्त किया कि बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

****